कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
विकास प्राधिकरण भवन, द्वितीय तल, भरतपुरी, जिला उज्जैन, (म.प्र.)

क्रमांक / 792 स्था/नग्रानि /2015 उज्जैन दिनांक 23-4-15

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश, संविदा सेवा (नियुक्ति और सेवा की शर्त) भरती नियम 2013 की अधिसूचना के अंतर्गत निम्न पद की सामान्य वर्ग पूर्ति हेतु उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र **कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.विकास प्राधिकरण भवन, द्वितीय तल, भरतपुरी, जिला उज्जैन**, को नियत दिनांक 01.06.2015 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिये।

अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार्य नही होगें, पद का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	पदनाम	संविदा पद का वेतन	रिक्त पदो की संख्या	रिक्त पदों पर आरक्षण				आवश्यक अर्हता योग्यता	वांछनीय अर्हता
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य		
1	वाहन चालक (संविदा)	रू. 7500 प्रतिमाह	01	—	—	—	01	हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा भारी मोटरयान चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति	2 या इससे अधिक वर्षो का अनुभव

अन्य शर्ते

1. **आयु सीमा —**

संविदा नियुक्ति के लिये उस वर्ष की, जिसमें की नियुक्ति की जाना है। जनवरी के प्रथम दिन को न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछडा वर्ग शासकीय सेवको , निगम मंडल , आयोग, स्वायत्त संस्थाओ ,नगर सैनिको तथा महिलाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, किन्तु सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम आयु सीमा किसी भी दषा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

2. **संविदा वेतन का भुगतान**

संविदा सेवा पर नियुक्त सेवा के सदस्यों को ,संबंधित आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा नियत की गई दर अनुसार मासिक आधार पर संविदा वेतन का भुगतान किया जायेगा, परन्तु उन दिनों के लिये संविदा वेतन का भुगतान नही किया जावेगा, जिनको कि सदस्य, कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा हो।

3. **संविदा सेवा की शर्ते**

(1) चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रूपये (पचास रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करेंगा। अनुबंध के निष्पादन पर उपगत होने वाला व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

(2) किसी व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होगा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वत– रद्द हो जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु विभाग द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जायेगा।

(3) संविदा कर्मचारी को अच्छे चरित्र एवं उसके विरूद्व कोई अपराधिक प्रकरण लंबित होने के संबंध मे एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरूद्व जानकारी मिलने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे तथ्यों का सत्यापन करने के पश्चात बिना कोई कारण बताये तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त कर देगें।

(4) संविदा के पद का कार्यभार ग्रहण करते समय पदधारी को शासकीय जिला चिकित्सालय से मेडीकल बोर्ड/ सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति उसकी संविदा सेवा की कालावधि के लिये पेंशन प्रसुविधाओं (लाभों) का हकदार नही होगा।

4. संविदा सेवा की नियुक्ति 2 वर्ष होगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनो पंक्षो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1955 लागू होगें।
7. कलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें।
8. चिकित्सा प्रतिपूर्ती अर्जित अवकाश चिकित्सा सुविधाओं की पात्रता नही होगी।
9. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना पासपोर्ट साइज का फोटो स्वप्रमाणित कर चस्पा करना अनिवार्य होगा एवं एक फोटो आवेदन के साथ संलग्न होगा चाहिये।

10. भर्ती आदेश प्राप्त करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्र की जांच हेतु बुलाया जायेगा जिसमें मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

11. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले शैक्षणिक अर्हता एवं सभी प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित कर संलग्न करे।

12. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र **कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश. विकास प्राधिकरण भवन, द्वितीय तल, भरतपुरी, जिला उज्जैन,** को नियत तिथि तक जमा करें डाक से वे ही आवेदन ग्राहय किया जायेगा, जो नियत तिथि तक प्राप्त होगें। विलंब से प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगें। आवेदन प्राप्ति का समय प्रातः 10:30 से दोपहर 1.00 बजे तक रहेगा।

13. अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।

14. चयन प्रक्रिया – प्राप्त आवेदन पत्रों में से मेरिट के आधार पर तैयार मैरिट सूची में से उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। दो उम्मीदवारों के एक समान अंक होने पर जिसकी आयु अधिक होगी, उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी।

15. पदों की सख्या में नियुक्ति के समय वास्तविक रिक्त स्थानो के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।

16. पदों कें चयन हेतु किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायायिक क्षेत्राधिकार केवल **कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश. विकास प्राधिकरण भवन, द्वितीय तल, भरतपुरी, जिला उज्जैन,** तक सीमित होगा।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
उज्जैन, (म.प्र.)

(वाहन चालक (संविदा) पद हेतु आवेदन का प्रारूप)

पदनाम...

पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

प्रति,

संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
विकास प्राधिकरण भवन, द्वितीय तल,
भरतपुरी, जिला उज्जैन, (म.प्र.)

1. आवेदक का पूरा नाम : ....
....
2. पिता का पूरा नाम : ....
3. वर्तमान पता : ....
....
4. संपर्क : ....
   1. दूरभाष नंबर : ....
   2. मोबाईल नं : ....
   3. ई – मेल : ....
5. स्थाई पता : ....
....
....
6. जन्मतिथि (10वी / 12वी) स्थानीय निगम की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न के) : दिन [|] माह [|] वर्ष [| | |]
7. वर्ग (चिन्ह लगावे) अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / सामान्य
8. क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है (जिला)
(प्रमाण सलग्न करे) : ....
9. शैक्षणिक योग्यता (हायर सेकेण्डरी)
(प्रमाण स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) : ....
:

क्रं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि. / वि. का नाम	वर्ष
1	2	3	4

अन्य योग्यता : ....

स्थान –

दिनांक –

संलग्न – चैक लिस्ट मय दस्तावेज ।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विवेक से पूर्णतः सत्य है । आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रतियां मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर स्वप्रमाणित की गई है। इनमें से किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूगां एवं जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्व कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

चैक लिस्ट

1. पासपोर्ट साइज के 2 फोटो , एक प्रमाणित कर निधारित स्थान पर चस्पा करें तथा 1 आवेदन के साथ संलग्न करें।
2. जन्म प्रमाण पत्र कोई एक
   1. 8 वी की अंकसूची
   2. 10वी की अंकसूची
3. मध्यप्रदेश के शासकीय सेवक / निगम / मंडल स्थानीय निकायों से सेवा का प्रमाण पत्र (आयु छूट हो)
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र
5. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित

पावती प्रारूप

श्री.. द्वारा वाहन चालक (संविदा) पद हेतु संलग्न 01 से 05 तक के दस्तावेज प्राप्त किये।

हस्ताक्षर